संख्या: 61/2021/1796040/2021/-2/142/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 22 सितंबर, 2021

विषय: फसल बीमा योजनाओं के प्रभावी एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु जनपद एवं तहसील स्तर पर बीमा कम्पनी के फसल बीमा हेल्प डेस्क की स्थापना किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश में खरीफ 2020 मौसम से आगामी तीन वर्षो 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के खरीफ तथा रबी मौसम के लिए संचालित है। योजना के सम्बन्ध मे कृषि अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना संख्या:17/2020/1344/12-2-2020-60(3)/2016, दिनॉक 21 जुलाई 2020 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि बीमा कंपनियों द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 कार्य दिवस के अन्दर अपने कार्य क्षेत्र के प्रत्येक जनपद व जनपद की प्रत्येक तहसील में कंपनी का क्रियाशील कार्यालय स्थापित करते हुए पर्याप्त संख्या में कार्मिकों की नियुक्ति तथा अधिसूचित ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक बीमा मध्यस्थ नियुक्त करते हुए जनपद व तहसील स्तर पर स्थापित कार्यालय/नियुक्त अधिकारी व बीमा मध्यस्थ का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगें ।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या: 15019/02/2019-क्रेडिट-2, दिनांक 27 मई, 2021 (प्रति संलग्न) द्वारा यह सुझाव दिए गए हैं कि बीमा कम्पनियों का कार्यालय यथासंभव सरकारी कार्यालयों के परिसर में खोले जाएं। यदि सम्भव हो तो बीमा कम्पनी के जनपद/तहसील स्तरीय कार्यालय कृषि एवं उद्यान विभाग परिसर में स्थापित किये जायें । बीमा कम्पनी अपने जनपद स्तरीय एवं तहसील स्तरीय कार्यालयों में कुर्सी, मेज, बिजली, कम्प्यूटर, लैपटॉप एवं सहवर्ती उपकरण, इन्टरनेट कनेक्शन, टेलीफोन, आवश्यक संख्या में कर्मियों की तैनाती एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थायें स्वयं करेंगी तथा कार्यालयों में एक-रूपता के दृष्टिगत समस्त जनपद/तहसील स्तरीय कार्यालयों का नाम **PMFBY Facilitation Center** रखा जाएगा।

3. चूंकि कृषक, कृषि विभाग के जनपदीय एवं तहसील स्तरीय कार्यालय से भिज्ञ होते हैं, अत: प्रश्नगत संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग के जनपदीय उप कृषि निदेशक के कार्यालय एवं तहसील स्तर पर उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारियों के कार्यालय में एक **"फसल बीमा हेल्प डेस्क"** की स्थापना की जाय, तथा, हेल्प डेस्क पर कंपनी का एक कर्मचारी उपस्थित रहे।

4. बीमा कंपनी अपने तहसील स्तरीय कार्यालयों की सूची, कार्यरत कर्मियों के नाम, मोबाइल नंबर कृषि विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय एवं कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजेंगी तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिवर्तन होने पर तत्काल सूचित करेंगी, जिला अधिकारी तथा उप कृषि निदेशक समय-समय पर इन कार्यालयों का निरीक्षण कर सत्यापित करेंगे कि कार्यालय नियमित रूप से खुल रहे हों तथा वहॉ बीमा कंपनी के कर्मी उपस्थित हों, जिससे कृषक फसल बीमा योजना से सम्बन्धित जिज्ञासाओं का समाधान कर सकें। तहसील दिवसों पर बीमा कंपनी के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये जिससे कृषकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके तथा कंपनी के अधिकारियों के मोबाइल नंबर/टोल फ्री नंबर के क्रियाशील रहने का आकस्मिक रूप से सत्यापन किया जाय।

5. जनपद के उप कृषि निदेशक प्रत्येक माह बीमा योजनाओं की समीक्षा करेंगे जिसमें मुख्य रूप से बीमा कम्पनी के हेल्प-डेस्क के संचालन की स्थिति, योजना के प्रचार-प्रसार की समीक्षा, बैंक स्तर से समय से प्रीमियम काटने एवं कृषकों का विवरण सही-सही फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने, मध्यावस्था में फसलों की क्षति की सूचना प्राप्त होने पर सर्वे कार्य एवं कम्पनी स्तर से क्षतिपूर्ति के वितरण एवं फसल कटाई प्रयोगों के आयोजन की प्रगति आदि की समीक्षा की जाएगी तथा समीक्षा कार्यवाही एवं योजना के क्रियान्वयन में होने वाली कठिनाईयों से निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराया जाएगा।

कृपया, उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 61/2021/1796040(1)/2021/-2/142/2021 तद्दिनॉक।

1. अपर सचिव एवं सी0ई0ओ0 (PMFBY),कृषि,सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली,
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
3. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
5. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
6. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
7. समस्त बीमा कम्पनी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।